खत्म होने की उम्मीद है। इस comprehensive assessment के तहत agriculture, health sector, irrigation sector पर इसका क्या असर होगा, यह हम मालूम करने में लगे हुए हैं और हमारी जो 127 वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, उनसे हम यह काम करवा रहे हैं। यह एक comprehensive assessment होगा और पहली बार हम कुछ विश्वास के साथ कह पाएंगे कि हमारे देश में मानसून पर, हिमालय के ग्लेशियर्स पर climate change का क्या असर हो रहा है। चूंकि हमारे पास अभी कुछ ज्यादा scientific evidence नहीं है, इसलिए इस बारे में अभी कुछ कहना मुनासिब नहीं है। अभी एक अनुमान है, एक भय है, आशंकाएं हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि विज्ञान के आधार पर दिसम्बर, 2010 तक हम इस बारे में दावे से कुछ कह सकते हैं।

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय मंत्री जी, आपने अभी जो टिप्पणी की, उसमें और अमरीका की विदेश सचिव के साथ टेलीविजन पर आपकी जो टिप्पणी आई थी, इन दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है। आपने बार-बार कहा है कि हम अपने दायित्व को समझते हैं, लेकिन अपनी प्रगति पर हम कोई भी वैज्ञानिक बंधन स्वीकार नहीं करेंगे। क्या आप देश को और दुनिया को यह प्रामाणिकता से बता रहे हैं? आपके देश में भी आपने कहा कि आप स्वयं इसके लिए वैज्ञानिक शोध कराने वाले हैं। आज दुनिया में भारत के खिलाफ जो एक प्रकार का campaign चल रहा है कि भारत emission norms को follow नहीं कर रहा है, भारत के ग्लेशियर्स ढीले पड़ रहे हैं, मानसून में बदलाव हो रहा है, तो इसके कारण दुनिया में भारत के खिलाफ एक अजीब प्रकार का विपरीत भाव बन रहा है। जब आप यह कहते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, लेकिन legal binding को follow नहीं करेंगे, इसके बीच का जो अंतर्निहित अंतर्विरोध है, इसको प्रामाणिकता से स्पष्ट करें।

श्री जयराम रमेश : मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें बिल्कुल भी अंतर्विरोध नहीं है। मैंने यह कहा कि हमारे National Action Plan के तहत हमने जो मिशन की घोषणा की है, उनमे 5 या 6 मिशन ऐसे हैं, जो adaption की बात करते हैं। 2 या 3 मिशन ऐसे हैं, जो mitigation की बात करते हैं, जब हम energy efficienty की बात करते हैं, energy efficient power plant की बात करते हैं, energy efficient buildings की बात करते हैं, तो वह mitigation होता है। हमारा stand यह है कि हम mitigate करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी योजना के तहत। हम किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि शंकर प्रसाद : अब आपने सही बोला।

श्री जयराम रमेश : हम अपनी योजना के तहत, अपनी पार्लियामेंट को confidence में लेकर ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि शंकर प्रसाद : मंत्री जी, क्षमा करिए, लेकिन यह बात पहले से आनी चाहिए थी ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : इन्होंने कह दिया है।

श्री जयराम रमेश : मैं पहले से यह कह रहा हूं कि मैं जब से इस मंत्रालय में आया हूं, मैं 29 मई से यह कह रहा हूं कि हम अपने बलबूते पर, हमारी योजना के तहत, हमारी पार्लियामेंट को confidence में लेकर यहीं mitigate करेंगे, किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार हम कोई legally binding mitigation स्वीकार नहीं करेंगे।

Assessment of energy demand

*323.SHRI DHARAM PAL SABHARWAL: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether the energy demand in the country is increasing;

(b) if so, what would be the energy demand during the next five years, year-wise;

(c) whether Government is aware that the Asian Development Bank (ADB) has given projections for energy demand in India, due to large scale industrialization and urbanization; and

(d) if so, the reaction of Government to the projections made by ADB?

THE MINISTER OF POWER (SHRI SUSHILKUMAR SHINDE): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir. The energy demand in the country over the years has registered an increasing trend.

(b) The Expert Committee of Planning Commission on Integrated Energy Policy has projected total primary commercial energy requirements under different GDP growth rate scenarios and falling / constant elasticity of demand to GDP growth rates for the terminal years of 11th and 12th Five Year Plans. According to the report of the Expert Committee the projections under various GDP growth rates and elasticity scenarios range from 521 to 570 Million Tonne of oil equivalent (Mtoe) for the year 2011-12 and 684 to 807 Mtoe for the year 2016-17. The demand forecast for electricity has been made by the 17th Electric Power Survey (EPS) Committee on year-wise basis upto 2011-12 and also for the terminal year of 12th Plan (2016-17). According to the 17th EPS, the requirement of electrical energy at the power station bus bars during 2010-11, 2011-12 and 2016-17, would be 906.32 Billion Units, 968.66 Billion Units and 1392.01 Billion Units respectively.

(c) and (d) The Asian Development Bank, in their policy paper on "Energy Policy" released in June, 2009, have given projections in respect of energy demand in Asia for the year 2030. Country-wise projections of the energy demand are not available in this Policy Paper.

श्री धर्म पाल सभ्रवाल : सर, 17वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वे के मुताबिक हर वर्ष बिजली की खपत बढ़ेगी। जैसा कि जवाब में लिखा है कि वर्ष 2010-11 में बिजली की खपत 906.32 बिलियन यूनिट, वर्ष 2011-12 में 968.66 बिलियन यूनिट और वर्ष 2016-17 में 1392.01 बिलियन यूनिट बढ़ेगी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आपने जो अल्ट्रा मेगा पावर का प्रोग्राम बनाया था, उसके जो प्रोजेक्ट हैं, उनको कहां-कहां लगाएंगे और कब तक लगाएंगे?

SHRI BHARATSINH SOLANKI: Mr. Chairman, Sir, the hon. Member desires to have ultra mega power plants at different places in the country for increasing the energy supply. Four projects are already going to come up; one is about to commence in Gujarat; another in Andhra and one in M.P.; and one more has been issued for which certain requirements, including the MoU, etc., are being fulfilled, is going to come up. We would like to go in for more and more ultra mega power plants in the country. Sir.

श्री धर्म पाल सभ्रवाल : सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हर राज्य में बिजली के अलग-अलग रेट्स हैं। जो प्राइवेट इदारे हैं, वे बिजली के रेट बहुत ज्यादा वसूल कर रहे हैं। आप क्या कोई ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे कि सारे देश में बिजली के रेट्स एक-समान हों?

मेरा दूसरा सवाल यह है कि ...।

श्री सभापति : नहीं, आपने एक सवाल पूछ लिया है।

श्री धर्म पाल सभ्रवाल : सर, मेरा (बी) प्रश्न है।

श्री सभापति : नहीं, (बी) प्रश्न नहीं होगा।

श्री धर्म पाल सभ्रवाल : सर, वह इसी के साथ है। सर, जो गरीब लोग हैं, जो एक यूनिट से पांच यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं, क्या आप उनको कम रेट पर बिजली मुहैया करवाएंगे?

SHRI BHARATS1NH SOLANKI: Electricity charges are fixed according to State regulations. That is the policy under the Electricity Act, according to which, States regulators are competent to decide their rates. Different States have different rates. The hon. Member desires to have economical rates for electricity, which is, of course, desirable; that is why the Government of India, the hon. Prime Minister and the Ministry also wishes that we generate more and more power and that we match the demand. Sir, rates for electricity are going to be lower in the coming times.

श्री राशिद अल्वी : सर, हम दुनिया के अंदर 7th largest produce हैं energy के, लेकिन consumption में हमारा नम्बर पांचवा है। दुनिया के अंदर जो energy per capita हम consume करते हें, that is the lowest. इसके बावजूद 50 परसेंट पॉपुलेशन के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपके पास क्या प्लानिंग है कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस नहीं है, वहां तक आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचाएंगे? जो हमने न्युक्लियर एग्रीमेंट किया है, वह इसी बुनियाद पर किया है कि हम देश के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी जल्द से जल्द पहुंचाएंगे, वह कब तक हम कर पाएंगे?

SHRI BHARATSINH SOLANKI: Sir, the hon. Member wishes every household in India to get electricity. Under the Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana, Government aims at providing access of electricity to rural households and free electricity connection to every BPL household by 2012. There was a huge gap when we became Independent because the power generated was very limited. Now, in this Five Year Plan, we envisage addition of about 78,000 MW. That is the way we are going to go ahead.

DR. C. RANGARAJAN: Sir, capacity addition during the Tenth Plan fell short of the target that was fixed for the Tenth Plan. I want to ask the hon. Minister whether capacity addition during the Eleventh Plan is taking place according to the schedule or whether there is a shortfall even there.

SHRI BHARATSINH SOLANKI: The hon. Member is concerned about the shortfall and the new projections. We has problems with respect to hydro projects, man power, machinery and other things. Our Ministry is looking into it seriously and we hope that we will be able to reach very close to the Eleventh Plan target.

SHRI T.K. RANGARAJAN: Sir, I want to know from the hon. Minister as to how much energy shortage is there in Tamil Nadu today and how the Central Government is going to help Tamil Nadu to meet this energy shortage.

SHRI BHARATSINH SOLANKI: Sir, the supplementary put by the hon. Member does not arise out of the main question. The hon. Member should put a separate question for it.

MR. CHAIRMAN: This is not related to the main question. ...*(Interruptions)*...

*324. *[The questioner Shri Sabir Ali was absent. For answer *vide* page 23 *infra*]

*325. *[The questioner Shri Nandi Yellaiah was absent. For answer *vide* page 27 *infra*]

सैट-टाप बाक्स का प्रयोग करने वालों से बढ़ाई गई राशि का वसूल किया जाना

*326. **श्री रवि शंकर प्रसाद** :

श्री शिवानन्द तिवारी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सैट-टाप बाक्स पर सीमा शुल्क बढ़ाए जाने की घोषणा के बाद इस राशि को उपभोक्ता से वसूल किए जाने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर बढ़ाई गई सीमा शुल्क की राशि का एक समान वितरण किए जाने के संबंध में निर्णय लेने के लिए हस्तक्षेप करेगी?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख गया है।

विवरण

(क) से (ग) ऐसा कोई निर्णय सरकार द्वारा अथवा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा नहीं लिया गया है। सीमा-शुल्क में वृद्धि के कारण सेट-टॉप बॉक्स (एसटीपी) की कीमत में होने वाली किसी भी वृद्धि को उपभोक्ता तक पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से अंतरित किए जाने और इस वृद्धि में से प्रसारण सेवा प्रदाता द्वारा वहन किए जाने वाले भाग के संबंध में कोई भी निर्णय प्रसारण सेवा प्रदाता के स्तर पर लिया जाता है।

Recovery of increased amount from set-top box users

*326. SHRI RAVI SHANKAR PRASAD:

SHRI SHIVANAND TIWARI:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is fact that following announcement of hike in customs duty on set top box, a decision has been taken to recover this amount from consumers;

(b) if so, the details in this regard; and

(c) whether, in view of the protection of consumers, interests, Government would intervene for uniform distribution of the hiked customs duty?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI AMBIKA SONI): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Original notice of the question was received in Hindi.

सभा में यह प्रश्न श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा पूछा गया।

The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ravi Shankar Prasad.